

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23122023-250870
SG-DL-E-23122023-250870असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 351
No. 376]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA 1, 1945	[N. C. T. D. No. 351

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय आयुक्त: खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य

अधिसूचना

दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

फा.सं.3(85)/खा0 एवं आपू0/सामाजिक अंकेक्षण/पी एंड सी/2017/551-581.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 20) की धारा 24, 27 एवं 28 के साथ पठित धारा 40 की उप-धारा (2) के खंड (ज) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा उचित दर दुकानों के कामकाज पर सामाजिक अंकेक्षण को संचालित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

अध्याय-I

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ— (1) इन नियमों को दिल्ली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
(3) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं:— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
(क) "प्राधिकृत निकाय" का अभिप्राय संबंधित राजस्व जिलों के जिलाधिकारी (जिलाधिकारियों) से है।
(ख) "केंद्रीय अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 20) से है।

- (ग) "केन्द्र सरकार" का अभिप्राय भारत सरकार से है।
- (घ) "आयुक्त" का अभिप्राय खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आयुक्त से है।
- (ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" का अभिप्राय संबंधित राजस्व जिलों के जिलाधिकारी (जिलाधिकारियों) से है।
- (च) "सामाजिक अंकेक्षण" का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सामूहिक रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योजना के नियोजन तथा कार्यान्वयन का निरीक्षण एवं दरांकन करते हैं।
- (छ) "राज्य खाद्य आयोग" का अभिप्राय केंद्रीय अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित दिल्ली राज्य खाद्य आयोग से है।
- (ज) "राज्य सरकार" का अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 239एए के अंतर्गत नामित तथा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।
- (झ) अपरिभाषित लेकिन इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 20) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की संख्या 10) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उन्हें क्रमशः दिया गया है।

दूसरा अध्याय

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण:-

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे:-

- (i) केंद्रीय अधिनियम और नियंत्रण आदेशों की प्रतियां;
- (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी (एनएफएसए की वेबसाइट fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in पर उपलब्ध)
- (iii) राशन कार्ड जारी करना (माहवार और वर्षवार जारी करने की संख्या और रद्द करने की संख्या);
- (iv) उचितदर दुकानों की जिलावार एवं सर्किलवार जानकारी;
- (v) जिलावार, सर्किलवार, उचित दर दुकानवार संबंधी राशन कार्ड रिपोर्ट;
- (vi) राशन सामग्रियों के आवंटन, डिलीवरी और वितरण की मासिक रिपोर्ट।

(vii) पात्र लाभार्थियों तथा उनके खाद्यान्न आवंटन संबंधी सूची पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है और प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 22) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जा सकती हैं।

(2) पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई करने की आवश्यकता है, अर्थात्: -

(क) **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वेबसाइट** - केंद्रीय अधिनियम प्रावधानों के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कि -राशन कार्ड, जिला और सर्किलवार उचित दर दुकानों की जानकारी, आवंटन, डिलीवरी और खाद्य वस्तुओं का वितरण की महत्वपूर्ण जानकारी "एनएफएसए" की वेबसाइट fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in तथा epos.delhi.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों में राशन सामग्रियों के वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट में आम जनता द्वारा शिकायत और सुझाव दर्ज करने और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने का भी प्रावधान होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग की निम्नलिखित जानकारी भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) जिलावार एवं सर्किलवार उचित दर दुकान (पता, दूरभाष संख्या एवं वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली निर्देशांक);
- (ii) जिलावार, सर्किलवार उचित दर दुकानवार राशन कार्डों की संख्या (राशन कार्डों की संख्या के साथ उचित दर दुकानों की संख्या);
- (iii) जिलावार उचित दर दुकानवार मासिक आवंटन;
- (iv) उचित दर दुकानवार राशन कार्डों की विस्तृत जानकारी (संलग्न-उचित दर दुकानवार राशन कार्डों की संख्या का विवरण तथा लाभार्थियों का विवरण);
- (v) खाद्यान्न का वार्षिक वितरण;

- (vi) केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत वस्तुवार पात्रता तथा खाद्यान्न की दरें;
- (vii) वास्तविक समय के आधार पर निर्दिष्ट खाद्य सामग्री के आवंटन/डिलीवरी तथा वितरण की मासिक स्थिति;
- (viii) विभाग के नियम और अधिनियम तथा
- (ix) आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विभाग की अन्य जानकारी।

(x) लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उचित रूप से समय पर उपलब्ध कराना।

(ख) **सामाजिक अंकेक्षण**:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना एवं क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली का समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण करेगी या कराएगी तथा विभाग की वेबसाइटों अर्थात् fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in पर आम जनता के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समस्त पात्र लाभार्थियों तथा खाद्यान्न आवंटन संबंधी सूचियों सहित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी और साथ ही हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएगी। इन सूचियों को खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्: -

- (i) जिलाधिकारी सरल भाषा में बैठक की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची का उल्लेख करने से कम से कम 30 दिन पूर्व सामाजिक अंकेक्षण बैठक की सूचना देगा।
- (ii) संबंधित सर्किल के खाद्य आपूर्ति निरीक्षक/उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति के सदस्य सचिव अपने क्षेत्राधिकार में उचित दरों की दुकानों के सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु संबंधित राजस्व जिले के जिलाधिकारी के साथ समन्वय करेंगे। जन वितरण प्रणाली, उचित दर दुकानवार के अंतर्गत राशन सामग्रियों के आवंटन एवं वितरण से संबंधित अभिलेखों को बैठक आयोजित होने के कम से कम 15 दिन पूर्व उचित दरों के दुकान मालिकों द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संबंधित खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व जिलाधिकारी को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड और जिलाधिकारी द्वारा मांगी गई अन्य सभी जानकारी को उपलब्ध कराना चाहिए।
- (iii) संबंधित खाद्य आपूर्ति निरीक्षक बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समिति की सभी रिपोर्टों को लाभार्थियों को खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण के संबंध में विधिवत संकलित जानकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
- (iv) प्राधिकृत निकाय द्वारा यादृच्छिक आधार पर तय उचित दर दुकानों के संबंध में प्राधिकृत निकाय को सामाजिक अंकेक्षण हेतु उचित दर दुकान के मालिक तथा संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा पिछले छह महीनों के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (v) संबंधित राजस्व जिलों के जिलाधिकारी (जिलाधिकारियों) अपने क्षेत्राधिकार में उचित दर दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण का संचालन करेंगे। सर्किल खाद्य आपूर्ति निरीक्षक सामाजिक अंकेक्षण बैठकों के सुगमकर्ता और संयोजक होंगे।
- (vi) सामाजिक अंकेक्षण की बैठक जिलाधिकारी द्वारा इस संबोधन से आरंभ होगी कि यह क्यों बुलाई गई है, वार्ड निवासी इसमें कैसे भाग ले सकते हैं तथा कैसे अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं। जिलाधिकारी लोगों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित उनकी समीक्षा/प्रतिक्रिया/शिकायतों के बारे में लोगों से पूछें और तदनुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु आयोजित बैठक के दौरान कर्मचारियों/उचित दर दुकान के मालिकों से जवाब मांगें।
- (vii) प्राधिकृत निकाय द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की बैठक छह माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। बैठक का कार्यवृत्त तथा वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वार्ड निवासी को बैठक के दौरान रिपोर्टों में किसी भी गलत सामग्री पर आपत्ति करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए।
- (viii) वार्ड की स्थानीय प्राधिकारी की बैठक में दस्तावेजों के अंकेक्षण के पश्चात्, रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा सिफारिश के साथ आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य, दिल्ली को प्रस्तुत की जाएगी, जो जिलाधिकारी की रिपोर्ट को विशेष/अपर/संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति के माध्यम से आंचलिक सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, दिल्ली को अग्रेषित करेंगे। आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति) रिपोर्ट का

अध्ययन करने और आंचलिक सहायक आयुक्तों के साथ सिफारिशों को अपनाने के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाएगा।

(ix) आंचलिक सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई आरंभ करेगा और आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु की गई कार्रवाई रिपोर्ट विशेष/अपर/संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से आयुक्त, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य, दिल्ली को प्रस्तुत करेगा।

(x) सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टों की जांच के पश्चात्, आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य, दिल्ली अंकेक्षण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे तथा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। की गई कार्रवाई रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन (विभाग की वेबसाइट fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

4. इन नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण:— किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य वैधानिक कार्यवाही किसी भी चीज के लिए नहीं होगी जो इस नियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए अभीष्ट हो।
5. अनुदेशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी करने की शक्तियाँ:—आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नवाचारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक आदेशों/अनुदेशों को जारी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. दिलराज कौर, सचिव—सह—आयुक्त

OFFICE OF THE COMM: FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd December, 2023

No. F. 3(85)/F&S/Social Audit/P&C/2017/ 551-581.—In exercise of the powers conferred by clause (h) and (i) of sub-section (2) of Section 40 read with Section 24, 27 and 28 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following Rules on conducting social audit on the functioning of fair price shops, namely:-

CHAPTER-I

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These rules shall be called the Delhi Public Distribution System (Transparency and Accountability) Rules, 2023.
 - (2) It extends to the National Capital Territory of Delhi.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) **"Authorized Body"** means the:-
District Magistrate(s) of respective Revenue Districts.
 - (b) **"Central Act"** means the National Food Security Act, 2013 (No.20 of 2013);
 - (c) **"Central Government"** means the Government of India;
 - (d) **"Commissioner"** means the Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs, National Capital Territory of Delhi;
 - (e) **"Local Authority"** means District Magistrate(s) of respective Revenue Districts.
 - (f) **"Social audit"** means the process in which the people collectively monitor and evaluate the planning and implementation of the scheme under Targeted Public Distribution System and National Food Security Act;
 - (g) **"State Food Commission"** means the Delhi State Food Commission formed by the State Government for implementation of provisions of Section 16 of the Central Act;

- (h) "**State Government**" means the Lieutenant Governor Government of National Capital Territory of Delhi appointed under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution of India.
- (i) Word and expression used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and the Rules made there under.

CHAPTER-II

Transparency and Accountability

3 Disclosure of records of Public Distribution System:-

(1) Public Distribution System related important records such as:-

- (i) copies of the Central Act and the Control Orders;
- (ii) Information regarding implementation of Public Distribution System (available at "NFSA" websites fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in.)
- (iii) Issuance of ration cards (number of issuance month wise and year wise and number of cancellation thereof);
- (iv) District-wise and Circle-wise information of Fair Price Shops;
- (v) District-wise, Circle-wise, Fair Price Shop-wise ration card report;
- (vi) Monthly report of allocation, delivery and distribution of ration commodities.
- (vii) List of eligible beneficiaries and allocation of food grains to them

shall be placed in the public domain. These documents can be inspected and copies can be provided under the provisions of the Right to Information Act, 2005 (No.22 of 2005).

(2) The following actions need to be taken in order to maintain Transparency and Accountability, namely:-

(a) **National Food Security Act Website-** Important information of Public Distribution System such as ration cards, District and circle wise Fair Price Shop information, allocation delivery and distribution of food commodities, with reference to the provisions of the Central Act shall be displayed at "NFSA" websites fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in. There shall be provision for lodging of complaints and suggestions by the general public in the website and also to register the mobile numbers to obtain information regarding distribution of ration commodities in the Fair Price Shops under Public Distribution System. In addition, the following information of the department shall also be displayed on the website, namely:-

- (i) District-wise & Circle-wise Fair Price Shop (address, phone number & Global Positioning System coordinates);
- (ii) District-wise, Circle-wise and Fair Price Shop-wise number of ration cards (number of Fair Price Shop along with number of ration cards);
- (iii) District-wise and Fair Price Shop-wise monthly allocation;
- (iv) Detailed information of Fair Price Shop-wise ration cards (Fair Price Shop wise details of number of ration cards & details of beneficiaries attached);
- (v) Annual distribution of food grain;
- (vi) Commodity wise entitlement and rates of food grains under the Central Act;
- (vii) Monthly status of Allocation/Delivery and Distribution of Specified Food Articles on real time basis;
- (viii) Rules and Acts of the Department and
- (ix) Other information of the Department as specified by the Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs from time to time.
- (x) Providing good quality foodgrains to the beneficiaries in timely manner

(b) **Social Audit:-** In order to ensure transparency in the Planning and implementation of Public Distribution System, the State Government shall conduct or cause to be conducted, periodic social audit on the functioning of Fair Price Shops, Targeted Public Distribution System and other Welfare Schemes and shall make available all records including lists of all eligible beneficiaries and allocation of food grains in the National Capital Territory of Delhi to the general public on the websites of the Department i.e. fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in as well as hard copies will also make available. These lists shall be regularly updated by the Department of Food Supplies & Consumer Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi.

Social Audit shall be done in accordance with the following procedure, namely: -

- (i) District Magistrate gives notice for a social audit meeting at least 30 days before mentioning date, time, venue and agenda of the meeting in simple language.
 - (ii) The Food Supply Inspector of the concerned circle/Member Secretary of vigilance committee at Fair Price Shop level will coordinate with the District Magistrate of respective Revenue District for conduct of social audit of Fair Prices Shops in its jurisdictions. Records related to allocation and distribution of ration commodities under Public Distribution System, Fair Price Shops wise to be provided by the Fair Price Shop owner to the District Magistrate at least 15 days before the conduct of meeting. The concerned Food Supply Inspector should make all relevant records available to District Magistrate at least 15 days before the meeting and all other information sought by the District Magistrate.
 - (iii) The concerned Food Supply Inspector should also make available all the reports of Vigilance Committee at Fair Price Shop level, duly compiled, containing the information regarding availability and distribution of foodgrains to the beneficiaries to District Magistrate at least 15 days before the meeting.
 - (iv) Documents of last six months shall be submitted by Fair Price Shop Owner and concerned Food Inspector for social audit to Authorized Body in respect of Fair Price Shops decided on random basis by the Authorized Body.
 - (v) District Magistrate(s) of respective Revenue Districts shall conduct Social Audit of Fair Price Shops in its jurisdiction. Circle Food Supply Inspector shall be facilitator and convener of the Social Audit meetings.
 - (vi) The meeting of Social Audit to begin with address by the District Magistrate as to why it has been convened, how ward residence can participate and the follow up. The District Magistrate to ask people about their review/feedback/grievances related to Public Distribution System and accordingly seek responses from the officials/Fair Price Shop owner during the meeting conducted for Social Audit.
 - (vii) The Meeting of Social Audit by the authorized body shall compulsorily be conducted at least once in six months. The meeting should be minuted and videographed. The ward residence should be given the opportunity to object to any inaccurate contents of the reports during the meeting.
 - (viii) After audit of documents at ward's meeting of local authority, the report along with recommendation shall be submitted by the District Magistrate to the Commissioner, Food, Supplies & Consumer Affairs, Delhi who shall forward the District Magistrates report to Zonal Assistant Commissioner, Food & Supplies, Delhi through Special/ Additional/Joint Commissioner, Food & Supplies. Commissioner (Food & Supplies) convene meeting chaired by Minister in-charge to study the report and adopt recommendations along with Zonal Assistant Commissioners.
 - (ix) Zonal Assistant Commissioner, Department of Food and Supply, shall initiate appropriate action on the recommendations in the Social Audit Reports and submit Action Taken Reports through Special/Additional/Joint Commissioner, Department of Food &Supply to Commissioner, Food Supplies & Consumer Affairs, Delhi for further necessary action.
 - (x) After examination of the social audit reports, Commissioner, Food, Supplies & Consumer Affairs, Delhi shall take appropriate action to address the issues arising from the audit and Action taken on the social audit report shall place before the Minister in-charge. The action taken report to be placed in the public domain (website of the Department (fsd.delhi.gov.in, nfs.delhigovt.nic.in & epos.delhi.gov.in))
4. **Protection of the action taken under these Rules:** - No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this rule.
 5. **Powers to issue orders for compliance of instructions:** -The Commissioner, Food & Supplies, may issue necessary orders / instructions, from time to time, to ensure compliance of various provisions of these Rules and for the transparency, accountability and implementation of innovations in Public Distribution System.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
Dr. DILRAJ KAUR, Secy.-Cum-Commissioner